"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017—वैशाख 15, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शाहिना खान धर्मपत्नि श्री मोहम्मद हासिम खान, उम्र 36 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं.-12/ए, सड़क-एवन्यु बी, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. निवेदिता पिता चन्द्रकांत बोरतवार था. मेरा विवाह दिनांक 03-06-2005 को मोहम्मद हासिम खान आत्मज मोहम्मद हबीब खान के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शाहिना खान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शाहिना खान धर्मपत्नि श्री मोहम्मद हासिम खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

निवेदिता बोरतवार (Nivedita Boratwar)
पिता श्री चन्द्रकांत बोरतवार
निवासी-प्लाट नं. 406/5, चन्द्रविहार प्रगति नगर के पास,
रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती शाहिना खान (Smt. Shaheena Khan)
पति-मोहम्मद हासिम खान
निवासी-क्वाटर नं.-12/ए, सड़क-एवन्यु बी, सेक्टर-1, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तेजेश्वर सिंह अर्मो पिता श्री गणेश सिंह अर्मो, जाति गोंड, उम्र 24 वर्ष, निवासी-ग्राम डोंगरिया, थाना पेण्ड्रा, तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक मूल नाम ठंडेश्वर सिंह अर्मो पिता श्री गणेश सिंह अर्मो जाति गोंड़ है जो मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पेन कार्ड, बैंक पास बुक पोस्ट आफिस एवं सर्विस बुक आदि में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम तेजेश्वर सिंह अर्मो रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे तेजेश्वर सिंह अर्मो पिता श्री गणेश सिंह अर्मों के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ठंडेश्वर सिंह अर्मो
पिता श्री गणेश सिंह अर्मो
निवासी- ग्राम+पोस्ट-डोंगरिया, थाना पेण्ड्रा,
तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

तेजेश्वर सिंह अर्मो
पिता श्री गणेश सिंह अर्मो
निवासी- ग्राम+पोस्ट-डोंगरिया, थाना पेण्ड्रा,
तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घसिया राम कृपाल (Ghasiya Ram Kripal) पिता स्व. पुलिस राम कृपाल (Pulish Ram Kripal), उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-1/डी, सड़क नं.-30, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पैनकार्ड में मेरा नाम घसिया राम (Ghasiya Ram) पिता पुलिस राम कृपाल, आधार कार्ड में जी. आर. कृपाल (G. R. Kripal) पिता पी. आर. कृपाल एवं मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम घसिया राम (Ghasiya Ram) पिता पुलिस राम कृपाल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम घसिया राम कृपाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे घसिया राम कृपाल पिता स्व. पुलिस राम कृपाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

घसिया राम एवं जी. आर. कृपाल
पिता-स्व. पुलिस राम कृपाल
निवासी-क्वा. नं.-1/डी, सड़क नं.-30, सेक्टर-5,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

घसिया राम कृपाल
पिता-स्व. पुलिस राम कृपाल
निवासी-क्वा. नं.-1/डी, सड़क नं.-30, सेक्टर-5,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ज्योत्स्ना अशोक भावे (Jyotsna Ashok Bhave) पति श्री अशोक रोहिदास भावे (Ashok Rohidas Bhave), उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6 ए, सड़क-76, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री अशोक रोहिदास भावे के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज में मेरा नाम श्रीमती ज्योत्स्ना अशोक उमरे (Jyotsna Ashok Umare) दर्ज हो गया है जो कि मेरा पुराना नाम है जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम श्रीमती ज्योत्स्ना अशोक भावे पति श्री अशोक रोहिदास भावे है जो कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड व अन्य में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती ज्योत्स्ना अशोक भावे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती ज्योत्स्ना अशोक भावे पति श्री अशोक रोहिदास भावे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती ज्योत्स्ना अशोक उमरे (Jyotsna Ashok Umare) पति-अशोक रोहिदास भावे (Ashok Rohidas Bhave) निवासी-क्वा. नं.-6 ए, सड़क-76, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती ज्योत्स्ना अशोक भावे (Jyotsna Ashok Bhave) पति-अशोक रोहिदास भावे (Ashok Rohidas Bhave) निवासी-क्वा. नं.-6 ए, सड़क-76, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार आत्मज श्री मिश्री लाल राजवार, उम्र 47 वर्ष, निवासी-वैगन आर-14, गणपति विहार, पोटिया रोड, बोरसी, पोस्ट दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैंने कु. खुशी (जन्मतिथि 30-12-2015) को बजरिये पंजीयित गोदनामा दिनांक 21-3-2016 को श्री जितेन्द्र सिंह एवं माता श्रीमती प्रीति, निवासी-डब्लू 52 बी/132, टी हटस, रघुवीर नगर, दिल्ली 27, स्थायी पता ग्राम मिर्जापुर, तहसील व जिला गाजियाबाद से गोद लिया है. गोद लेने के बाद मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. आकांक्षा राज पिता श्री अशोक कुमार एवं माता श्रीमती नैना अशोक रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को कु. आकांक्षा राज पिता श्री अशोक कुमार एवं माता श्रीमती नैना अशोक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. खुशी पिता श्री जितेन्द्र सिंह माता श्रीमती प्रीति निवासी-डब्लू 52 बी/132, टी हटस, रघुवीर नगर, दिल्ली 27, स्थायी पता-ग्राम मिर्जापुर, तहसील व जिला गाजियाबाद	कु. आकांक्षा राज पिता श्री अशोक कुमार माता श्रीमती नैना अशोक निवासी-वैगन आर-14, गणपति विहार, पोटिया रोड, बोरसी पोस्ट दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल, उम्र 63 वर्ष, पति स्व. तेजराम अग्रवाल हाल निवासी- म. नं. 214, सफायर ग्रीन, विधान सभा रोड, रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती पी. डी. सिंघल, पति तेजराम अग्रवाल दर्ज है जो कि मेरा पुराना नाम है. जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल, पति स्व. श्री तेजराम अग्रवाल है जो मेरे दस्तावेजों में दर्ज है. अत: अब अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल पति स्व. श्री तेजराम अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल पति स्व. श्री तेजराम अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती पी. डी. सिंघल
पति-स्व. श्री टी. आर. सिंघल
निवासी- मकान नं. 214, सफायर ग्रीन, विधान सभा रोड,
आमा सिवनी, रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल
पति-स्व. श्री तेजराम अग्रवाल
निवासी- मकान नं. 214, सफायर ग्रीन, विधान सभा रोड,
आमा सिवनी, रायपुर (छ. ग.)
मो. नं. 9302128822
9826678508

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयन अधिकारी खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

खैरागढ़ , दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्रमांक/1122/प्र-1/अ. वि. अ./2017.— सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अखिल कुमार, पिता स्व. कन्हैयालाल डाकलिया, मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती कमला बाई, कन्हैयालाल डाकलिया चेरिटेबल ट्रस्ट खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) द्वारा आवेदन पेश किया गया है, कि उनके गुरूदेव का नाम मनोहर है अतएव चेरिटेबल ट्रस्ट श्रीमती कमला बाई, कन्हैयालाल डाकलिया चेरिटेबल ट्रस्ट खैरागढ़ पंजीयन क्रमांक 01 से पहले अपने गुरू का नाम मनोहर गौशाला दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतएव श्रीमती कमला बाई, कन्हैयालाल डाकलिया चेरिटेबल ट्रस्ट खैरागढ़ के पहले मनोहर गौशाला अंकित कर संशोधन प्रमाण पत्र जारी किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 12-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी.

पी. एल. ध्रुव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग , दिनांक 27 मार्च 2017

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2017/482.— रूही खाद बीज कीटनाशक दवाईयां एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. रूही, पंजीयन क्रमांक 2983 जिला दुर्ग को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/1527 दुर्ग, दिनांक 31-12-2016 के द्वारा टी. आर. सहारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थायें छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत रूही खाद बीज कीटनाशक दवाईयां एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. रूही, पंजीयन क्रमांक 2983 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करता हूं, और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर , दिनांक 23 मार्च 2017

क्रमांक/पंजीयन/2017/659.— परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट मल्टी परपज को-आपरेटिव्ह सोसायटी लिमि. पुणे-411005 में भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग के आदेश दिनांक 18-4-2016 द्वारा श्री सतीश एस. क्षीरसागर को परिसमापक नियुक्त किया गया है परिसमापक का पता-समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट मल्टी परपज को-आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड ऑफिस नम्बर-502 चतुर्थ तल, प्रासपेरिटी हाईस्ट्स, सी. टी. एस. नम्बर 6769, मित्र मण्डल चौक, पार्वति, पुणे-411005 है. उक्त सोसायटी के दावेदार/लेनदार अपने दावे आपत्ति हेतु सीधे उक्त पते पर संपर्क करें एवं इस कार्यालय को सूचित करें.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.